

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 137 वीं बैठक दिनांक 16.09.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 5, 6, 7 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 2, 3, 4, 8, 9, 10 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 4 व.न.नि. (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 6 से 12 व.न.नि. (बीपीसी) द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस संचेती, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे—

1. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एम ढाखा, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हृदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री बी.एल. गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा जयपुर।
10. श्री मुरलीधर चेजारा, उप नगर नियोजक, (जोन-7), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

137/16.09.09

विषय:-बीपीसी (ले आउट प्लान) 135वीं बैठक दिनांक 28.08.09 एवं 136 वीं दिनांक 02.09.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2

137/16.09.09 (जोन-4)

विषय:-तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10बी के भूखण्ड संख्या 25, 26, 27 व 27-ए ओवरलेप से मुक्त करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10बी के भूखण्ड संख्या 26 व 27 के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए उन्होंने समिति के सदस्यों को बताया कि हमारा भू-देव कोलोनी जिनका ओवरलेपिंग योजना मानचित्र में है उनसे माननीय न्यायालय में समझौता हो गया है। समिति ने प्रतिनिधियों को सुनने के पश्चात् विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 25, 26, 27, 27-ए तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10बी के निवासियों के नाम से समझौता हो गया है। इसलिए इन भूखण्ड को स्वीकृत किया जावे, किन्तु भूखण्डों का नियमन करने से इस योजना का आवासीय क्षेत्रफल 75.53 प्रतिशत हो जाता है इसलिए योजना की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

एजेण्डा संख्या:-3

137/16.09.09 (जोन-4)

विषय:- नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना वृन्दावन विहार में भूखण्ड संख्या 58, 59 के पश्चिम में दर्शाया सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क में किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह योजना जविप्रा से स्वीकृत योजना है। योजना मानचित्र में इस क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र दर्शाया है मौके पर प्राधिकरण द्वारा चार दिवारी बनाई हुई है तथा झूले लगे हुए हैं इसलिए इस सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-4

137/16.09.09 (जोन-5)

विषय:- निजी खातेदार की योजना उमापथ (रामनगर) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह योजना निजी खातेदार की है इस योजना में से 117 भूखण्डों में से 110 भूखण्डों पर निर्माण है। योजना में आवासीय क्षेत्रफल

75.72 प्रतिशत है इसलिए प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-5

137/16.09.09 (जोन-7)

विषय:- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 191 से 201 क्षेत्रफल 7270.30 वर्ग गज के पुनर्गठन बाबत्।

उपायुक्त जोन द्वारा दूरभाष पर अवगत करवाये गये अनुसार प्रश्नगत प्रकरण नेमी नगर विस्तार का न होकर नेमी नगर से संबंधित है।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नेमी नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 191 से 201 क्षेत्रफल 7270.30 वर्ग गज के आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्गठन किया जावे। पुनर्गठित भूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 अनुसार निम्नानुसार देय होंगे:-

सैटबैक:-

चारों ओर	- 15 मीटर
अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल	- 35 प्रतिशत
अधिकतम उचाई	- 12 मीटर
एफ.ए.आर	- 1.2

जोन द्वारा एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार एक प्रकरण संख्या 93/09 माननीय अपीलीय अधिकरण में लंबित होना बताया गया है अतः उपायुक्त जोन द्वारा लंबित प्रकरण में परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या-6

137/16.09.09 (जोन-7)

विषय:- पथिक भवन गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं. 9 भृगु नगर योजना की सुविधा क्षेत्र को विशेष प्रकृति एण्ड यूज परिवर्तन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जोन के प्रस्ताव अनुसार पथिक भवन गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं. 9 भृगु नगर योजना के सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज विशेष प्रकृति (आर.एस.ई.बी. ग्रिड स्टेशन हेतु) किया जावे।

एजेण्डा संख्या-7

137/16.09.09 (जोन-7)

विषय:- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना वैशाली एनक्लेव के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 13 व 14 के सैटबैक में शिथिलता बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना वैशाली एनक्लेव के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 13 व 14 के सैटबैक में शिथिलता के संबंध में जोन द्वारा प्रेषित प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह

निर्णय लिया गया कि जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.01.09 में लिये गये निर्णय अनुसार ही भूखण्ड पर सैटबैक दिये जावे।

एजेण्डा संख्या-8

137/16.09.09 (जोन-9)

विषय:- श्री आलोक जैन के भूखण्ड संख्या 59, 60, 87, 88 व 65, 66, 81, 82 प्रेम सागर योजना में भूखण्डों के पुनर्गठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा जावे। तब तक प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-9

137/16.09.09 (जोन-9)

विषय:- सेक्टर 36 में प्रस्तावित सडकों व चक करोल योजना में प्रस्तावित सडकों में परिवर्तन होने के कारण सेक्टर रोडों की स्थिति के परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सेक्टर 36 में प्रस्तावित सडकों व प्राधिकरण की योजना करोल बाग में प्रस्तावित सडकों की स्थिति में मौके पर अन्तर है करोल योजना मानचित्र के अनुसार मौके पर डब्ल्यूबीएम रोड बन भी चुकी है तथा करोल योजना में कुछ भूखण्डों का आवंटन एवं कुछ भूखण्ड निलामी से विक्रय किए जा चुके हैं इसलिए सेक्टर प्लान के अनुसार सडकें रखने से न्यायालय में अनावश्यक वाद दायर होंगे। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि चक करोल योजना में प्रस्तावित सडकों के अनुसार सेक्टर 36 में प्रस्तावित सेक्टर सडकों में परिवर्तन किया जावे।

एजेण्डा संख्या-10

137/16.09.09 (जोन-11)

विषय:- निजी खातेदारी/विकासकर्ता द्वारा ग्राम दहमीकला व दहमीखुर्द की कृषि भूमि पर प्रस्तुत की गयी प्रस्तावित आवासीय योजना के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में कॉमर्शियल सी- जो सडकों के मध्य में प्रस्तावित किया है उसे आईलैन्ड दर्शाकर शेष योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1

137/16.09.09 (जोन-6)

विषय:- सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की स्वीकृत योजना पवनपुरी में स्वीकृत 60फीट सेक्टर रोड(उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम) को 40 फीट चौड़ी स्वीकृत करने के संबंध में।

गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारी अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी के कक्ष में हुये एवं उन पदाधिकारियों को सुना गया उनके द्वारा योजना में 60' सेक्टर रोड में अत्याधिक निर्माण होने के कारण इसे 40' किये जाने का प्रस्ताव दिया गया उक्त क्रम में माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.09 में बैठक आयोजित की गई तथा योजना में उत्तर दक्षिण व पूर्व-पश्चिम से गुजर रही 60' सेक्टर रोड को इसी योजना में 40' किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है अतः प्रकरण समिति के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2
137/16.09.09 (जोन-6)

विषय:- सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवनपुरी ईस्ट के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

- भूखण्ड संख्या 1-ए से 11, 26 से 29, 37, 38 47, 52 की पूर्व दिशा में भूखण्डों के सामने 30' चौड़ी सडक रखी जावे।
- योजना के भूखण्ड संख्या 42, 43, 48, 52, 98 103-ए एवं 136-ए व अन्य जिन भूखण्डों को नियमानुसार सैटबैक छोडने के उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन भूखण्डों को गैर अनुमोदित किया जावे।
- भूखण्ड संख्या 121 व 134 में मंदिर निर्मित है अतः इन्हें सुविधा क्षेत्र में रखा जावे।
- भूखण्ड संख्या 12 से 22 के सामने 30' चौड़ी सडक रखी जावे एवं भूखण्ड संख्या 12 से 18 के पश्चिम दिशा में 10' चौडा रास्ता उपलब्ध है उसे यथावत रखते हुये शेष भूमि अन्य ओर से सडक हेतु प्राप्त/आवाप्त की जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले, नाडी, तालाब, जोहडपायतन अथवा जल संग्रहण स्थल एवं अब्दुल रहमान प्रकरणान्तर्गत निर्देशों से से प्रभावित नहीं है के संदर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त शर्तों के साथ योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3
137/16.09.09 (जोन-6)

विषय:- शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

- 60' सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1-ए 1-बी, 1-सी को एवं अन्य किसी भी भूखण्ड को नियमानुसार सैटबैक छोड़ने के उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण इसे गैर अनुमोदित किया जावे।
- भूखण्ड संख्या 11, 19 व 20 के मौके पर दो भाग किये है जिसके क्रम में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची के आधार पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही जोन स्तर से की जानी होगी।
- भूखण्ड संख्या 19 व 22 के दक्षिणी भाग जो की खसरा सीमा से बाहर है उस क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावे।
- समिति के मानचित्र में भूखण्ड संख्या 9-ए सृजित है परंतु मौका सर्वे मानचित्र अनुसार मौके पर भूखण्ड संख्या 9-ए सृजित नहीं है उक्त ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 8 से 11 तक की चौड़ाई मौका स्थिति अनुसार स्वीकृत की जावे।
- योजना में भूखण्ड संख्या 6 से 12 व 13 से 4 एवं 5 के सामने एवं भू. सं. 3 से 19-ए व भू. सं. 2 से 20 के सामने स्थित 30' सडक को 40' किया जावे एवं भूखण्डों में से दोनों ओर से समान भूमि ली जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले, नाडी, तालाब, जोहडपायतन अथवा जल संग्रहण स्थल एवं अब्दुल रहमान प्रकरणान्तर्गत निर्देशों से प्रभावित नहीं है के संदर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
- वर्तमान जारी आदेश के तहत योजना/भूखण्डों में वृक्षारोपण करवाया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4

137 / 16.09.09 (जोन-6)

विषय:- निजी खातेदार की योजना अमन एनक्लेव का संशोधित योजना मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

- निजी खातेदार द्वारा प्रस्तावित योजना में संस्थानिक एवं अस्पताल हेतु दर्शित भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शाया जावे।
- प्रस्तुत मानचित्र में फुटकर व्यवसाय हेतु दर्शित क्षेत्र को "जन साथी रोजगार योजना" के अन्तर्गत आरक्षित रखा जावे।
- योजना में जिन भूखण्डों को नियमानुसार सैटबैक छोड़ने के उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन भूखण्डों को गैर अनुमोदित किया जावे।
- वर्तमान जारी आदेश के तहत योजना/भूखण्डों में वृक्षारोपण करवाया जाना आवश्यक होगा।

4

- प्रस्तावित योजना की भूमि नदी, नाले, नाडी, तालाब, जोहडपायतन अथवा जल संग्रहण स्थल एवं अब्दुल रहमान प्रकरणान्तर्गत निर्देशों से प्रभावित नहीं है के संदर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5

137/16.09.09 (जोन-11)

विषय:- निजी विकासकर्ता/खातेदार की आवासीय योजना ग्रीन सिटी के मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना मानचित्र में बडा सुविधा क्षेत्र योजना के दक्षिणी ओर योजना के अन्तिम छोर पर प्रस्तावित किया गया है जिसके क्रम में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सुविधा क्षेत्र को योजना के मध्य में प्रस्तावित करते हुये संशोधित योजना मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6

137/16.09.09 (जोन-5)

विषय:- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना साकेत नगर के भूखण्ड संख्या-5 को खुला क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में सभी शर्तों की पालना होती है तथा इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने से योजना का क्षेत्रफल 61.38 ही होता है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या-5, साकेत नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7

137/16.09.09 (जोन-11)

विषय:- पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर में स्थित (राधास्वामी नगर-द्वितीय आवासीय योजना) के अनुमोदन बाबत्

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान बैठक में उप रजिस्ट्रार सहकारिता की टिप्पणी का अवलोकन किया गया जिसमें उपलब्ध सदस्यता सूची में सदस्यों की संख्या 96 है तथा योजना में कुल भूखण्ड 112 प्रस्तावित है इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि उप रजिस्ट्रार सहकारिता की टिप्पणी के संबंध में जोन द्वारा जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने तक स्थगित रखा जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8

137/16.09.09 (जोन-11)

विषय:- श्रीगणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना (गणेश विहार विस्तार) ग्राम चन्दलाई व अन्य तहसील चाकसू के अनुमोदन बाबत्

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में आवासीय भूखण्ड 2250 तथा 442 दुकानें प्रस्तावित हैं। जिसमें से 16 भूखण्ड आंशिक निर्मित हैं तथा चार दिवारी बनी हुई है योजना में अन्य भूखण्ड रिक्त हैं। योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र 68.18 प्रतिशत है इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9
137/16.09.09 (जोन-1)

विषय:- भूखण्ड संख्या 19, यूनिट नम्बर 3 (जय अम्बे नगर) जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर रोड, जयपुर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में भूखण्ड संख्या 19 प्रस्तावित नहीं है। तथा प्रार्थी को सोसायटी द्वारा आवंटित क्षेत्र एवं मौके पर स्थित भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर होने के पश्चात् विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10
137/16.09.09 (जोन-11)

विषय:- निजी खातेदारी/विकासकर्ता ऐस इण्डिया अब्रोडस प्रा.लि. व अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई आवासीय योजना के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ने योजना में कोर्नर पर पार्क दर्शाया है। इसलिए पार्क को योजना के मध्य में दर्शाकर संशोधित योजना मानचित्र लिए जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-11
137/16.09.09 (जोन-9)

विषय:- शिव शंकर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. की योजना बाल विहार के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

1. जिन भूखण्डों पर 11 के.वी. की हाईटेंशन लाईन गुजरती है उन भूखण्डों को लाईन हटने के पश्चात् नियमन किया जावे।
2. सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 60' सडक को पशुपतिनाथ नगर में इस सडक की चौड़ाई 40'-0" स्वीकृत की गई है इसलिए इस योजना में भी 60'-0" सेक्टर रोड को 40'-0" चौड़ी सडक मानकर योजना स्वीकृत की जावे।
3. 40'-0" सेक्टर रोड को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।
4. योजना की भूमि नदी, नाले, नाडी, तालाब, जोहडपायतन अथवा जल संग्रहण स्थल एवं अब्दुल रहमान प्रकरणान्तर्गत निर्देशों से से प्रभावित नहीं है के संदर्भ में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

5. वर्तमान जारी आदेश के तहत योजना/भूखण्डों में वृक्षारोपण करवाया जाना आवश्यक होगा।


उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये योजना अनुमोदन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-12
137/16.09.09 (जोन-9)

विषय:- गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कृषि नगर 'बी' के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विकास समिति रजिस्टर्ड नहीं है तथा रेल्वे लाईन की भूमि के पश्चात् सेक्टर रोड 100' उपलब्ध न होने के कारण योजना को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2009/डी-366

दिनांक :- 22/9/09

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।